

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./14/2024/3567

दिनांक : 25/11/24

:: आदेश ::

I

निम्नांकित कर्मचारीगण के सामने कॉलम संख्या-4 में अंकित न्यायालय में की गयी प्रतिनियुक्ति को प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	प्रतिनियुक्ति न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री मयंक पारीक, आशुलिपिक ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ
2	श्री चन्द्रप्रकाश निरंकारी, आशुलिपिक ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भिवाडी	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाडी
3	सुश्री प्रिंसी कौर विरक, आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1, अलवर	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेडा
4	श्री शुभम शर्मा, लिपिक ग्रेड द्वितीय	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढबास	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, तिजारा

II


निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन, प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पद व न्यायालय	नवीन पद व न्यायालय	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5
1	श्री ब्रजेन्द्र सिंह,	आशुलिपिक ग्रेड तृतीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ	आशुलिपिक ग्रेड तृतीय ग्राम न्यायालय, तिजारा	रिक्त पद पर

III

निम्नांकित कर्मचारीगण को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु निम्न प्रकार लगाया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री मयंक पारीक, आशुलिपिक ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, राजगढ
2	सुश्री प्रिंसी कौर विरक, आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1, अलवर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कठूमर

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
अलवर (राज०)

- नोट- 1- कार्यालय आदेशों की पालना 03 कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से की जाये।  
2- आदेश क्रम-I में अंकित जिन कर्मचारीगण की पूर्व प्रतिनियुक्ति न्यायालय से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर, सीधे ही आदेश क्रम- III में अंकित न्यायालय में कार्यव्यवस्था में लगाया गया है, उन कर्मचारीगण को पूर्व प्रतिनियुक्ति कार्यालय से औपचारिक रूप से कार्यभार मुक्त कर सीधे ही कार्यव्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे।  
3- कर्मचारियों की कार्यमुक्ति आदेश व उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।  
4- आदेश क्रम- I में क्रम सं. 2 पर अंकित कर्मचारी श्री चन्द्रप्रकाश निरंकारी, आशुलिपिक ग्रेड प्रथम कैम्प दिवसों में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, भिवाडी में कार्य करेंगे तथा कैम्प दिवसों के अतिरिक्त न्यायालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी में कार्य करेंगे।

sd-

( हरेन्द्र सिंह )

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
अ ल व र

mark

क्रमांक : स्था./2024/2568-91

दिनांक : 25/1/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश थानागाजी/भिवाडी/कठूमर
- 2- अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 अलवर/भिवाडी/सं. 2 राजगढ/सं. 2 तिजारा
- 3- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ/मालाखेडा/किशनगढबास
- 4- न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तिजारा
- 5- संबंधित कर्मचारी .....
- 6- लेखाशाखा/व्यक्तिगत पत्रावली/रक्षित पत्रावली
- 7- ✓ सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

( हरेन्द्र सिंह )

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
अ ल व र